

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13835/2025

1. Sawan S/o Shri Harisingh Solanki, Resident Of Khejda Police Station Dharnawada, District Guna, Madhya Pradesh, Currently Residing At Gukulsingh Chatta Guna Police Station Kotwali Guna, District Guna, Madhya Pradesh. (Presently Confined In Central Jail Ajmer Since 29-09-2025, Having Been Arrested By Rajasthan Police)
2. Rathod S/o Late Shri Sheru, Resident Of Bilakhedi Police Station Dharnawada, District Guna, Madhya Pradesh, Residing At Gukulsingh Chatta Guna Police Station Kotwali Guna, District Guna, Madhya Pradesh. (Presently Confined In Central Jail Ajmer Since 29-09-2025, Having Been Arrested By Rajasthan Police)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anupam Bhargava Mr. Aditya Mishra Mr. Anshuman Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Gupta, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

12/11/2025

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक-**08.10.2025** के विरुद्ध यह जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उन्हें पुलिस थाना **पुष्कर, जिला अजमेर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **246/2025**, अपराध अन्तर्गत धारा **331 (4), 305(ए)** भारतीय न्याय संहिता में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को मामले में झूठा फंसाया गया है, वे निर्दोष हैं। प्रार्थीगण दिनांक 26.09.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा श्रवण योग्य है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण को जमानत पर छोड़ा जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया। प्रार्थीगण दिनांक-26.09.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, अनुसंधान के दौरान आयी साक्ष्य, प्रार्थीगण की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थीगण को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/-रूपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000-25,000/-रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **सावन पुत्र हरिसिंह व राठौड पुत्र स्व. श्री शेरू** को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J